21.11.2021:–पत्रावली आज वादीया अधिवक्ता के प्रार्थना–पत्र पर पेशी मे लिया गया। अधिवक्ता उपस्थित। मुल वाद–पत्र मे राजिनामा हो चुका है। मूल वादपत्र मे राजिनाम होने के कारण प्रार्थना–पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र राजिनाम होने के कारण उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Avi Garg
Date: 2023.08.02 11:30:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner